

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान  
स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम जयपुर

क्रमांक- एच/एफएसएसए/2012/76

दिनांक 20/11/2012

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत सूचना भिजवाने  
बाबत।

संदर्भ:- प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार के पत्र क्रमांक 598 दिनांक 20.01.12

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के  
तहत फूड लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के संबंध में सूचना आज ही कार्यालय छोड़ने से पूर्व इस कार्यालय के  
दूरभाष/फैक्स नम्बर 0141-2224831 पर निम्न प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

प्रपत्र-1

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत दिनांक 14.11.11 से 15.01.12 तक  
प्राप्त आवेदनों की सूचना

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल प्राप्त फूड लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्रों की संख्या	जारी फूड लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशनों की संख्या	लम्बित फूड लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशनों की संख्या	यदि कोई आवेदन दिनांक 14.11.11 से 20.11.11 के मध्य प्राप्त हुआ हो एवं लम्बित हो की सूचना कारण सहित भिजवायें
-------------	-------------	---	---	---	--

प्रपत्र-2

(दायर की गई अपीलों की सूचना)

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रथम अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	निस्तारित	लम्बित अपील प्रकरण			शास्ति अधिरोपित की संख्या	कुल शास्ति राशि
						प्रथम अपील	द्वितीय अपील	योग (कॉलम 7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं  
निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक

क्रमांक- एच/एफएसएसए/2012/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
2. समस्त सुयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीन समस्त जिलों से सूचना प्राप्त कर संकलित करते हुये आज ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं  
निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर